मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

बुधवार, दिनांक 12 मई, 2010 (वैशाख 22, 1932)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.32 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. संकल्प

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 11 मई, 2010 को प्रस्तुत किये गये संकल्प पर पुनर्ग्रहीत चर्चा (क्रमशः)

"इस सदन का यह मत है कि राज्य का ऐसा सर्वांगीण एवं समावेशी विकास हो, जिससे प्रदेशवासियों का जीवन उत्तरोत्तर समृद्ध एवं खुशहाल बने तथा उन्हें अपनी क्षमताओं के अनुरूप सर्वश्रेष्ठ कार्य करने और राष्ट्र के विकास में योगदान देने का अवसर प्राप्त हो. ऐसे स्वर्णिम मध्यप्रदेश के निर्माण के लिए माननीय सदस्यगण से सुझाव प्राप्त करने तथा उन सुझावों के यथोचित क्रियान्वयन के लिए यह संकल्प प्रस्तुत है.".

संकल्प पर पुनर्ग्रहीत चर्चा में निम्नलिखित सदस्यगण ने भाग लिया :-

(26) श्री लक्ष्मण तिवारी

(27) श्री कमल पटेल

सभापति महोदया (श्रीमती नीता पटैरिया) पीठासीन हुईं.

(28) श्री केदारनाथ शुक्ल

(29) श्री प्रेमनारायण ठाकुर

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(30) श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री (भाषण अपूर्ण)

(अपराह्न 1.00 से 2.35 बजे तक अन्तराल)

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने अपना भाषण पूर्ण किया।

(31) श्री आत्माराम पटेल

(32) श्री गिरीश गौतम

(33) श्री दीपक कैलाश जोशी

(34) श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर

(35) श्री अभय कुमार मिश्रा

सभापति महोदया (श्रीमती नीता पटैरिया) पीठासीन हुईं.

(36) श्री अनूप मिश्रा, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(37) श्री देवेन्द्र वर्मा

सभापति महोदया (श्रीमती नीता पटैरिया) पीठासीन हुईं.

(38) श्रीमती शशि ठाकुर

(39) श्री राव देशराज सिंह यादव

(40) श्री नागेन्द्र सिंह (नागौद), लोक निर्माण मंत्री

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(41) श्री अन्तर सिंह आर्य

सभापति महोदय (श्री केदारनाथ शुक्ल) पीठासीन हुए.

(42) श्री आशाराम अहिरवार

(43) श्री नागेन्द्र सिंह (गुढ़)

(44) श्री मोहन शर्मा

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(45) श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन

(46) श्रीमती ललिता यादव

2. निन्दा प्रस्ताव

श्रीमती ललिता यादव, सदस्य द्वारा सदन को सूचित किया गया कि आज जब वे संकल्प पर चर्चा के लिए विधान सभा में प्रवेश कर रहीं थी, तब डॉ. कल्पना परूलेकर तथा कांग्रेस के ही एक अन्य सदस्य द्वारा उनके प्रति अशोभनीय टिप्पणियां की गई, इसके कारण उन्हें तथा सदन की समस्त महिला सदस्यों को गहरा दुखः हुआ है।

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा डॉ. कल्पना परूलेकर तथा कांग्रेस के सदस्य के अशोभनीय आचरण के विरूद्ध निन्दा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, श्रीमती अर्चना चिटनीस, स्कूल शिक्षा मंत्री, डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री, श्री अजय विश्नोई, पशुपालन मंत्री, श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, श्री उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री, श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री तथा सर्वश्री सुदर्शन गुप्ता, राधेश्याम पाटीदार, माखनलाल राठौर, खुमान सिंह शिवाजी, यशपाल सिंह सिसोदिया, गिरिजा शंकर शर्मा एवं श्रीमती नीता पटैरिया, सदस्यगण द्वारा भी उक्त घटना पर दुखः व्यक्त करते हुए निन्दा प्रस्ताव को पारित करने की मांग की गई।

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्रीमती ललिता यादव, सदस्य के प्रति घटित अशोभनीय घटना के प्रति अत्यंत दुखः व्यक्त किया गया।

संसदीय कार्य मंत्री द्वारा कांग्रेस के सदस्यों के आचरण के विरूद्ध प्रस्तुत निन्दा प्रस्ताव पर सदन का मत लिया गया।

सदन द्वारा सर्वसम्मति से निन्दा प्रस्ताव पारित किया गया।

रात्रि 7.15 बजे विधानसभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 13 मई, 2010 (वैशाख 23, 1932) 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 12 मई, 2010